भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र-1
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई

अधिसूचना सं. गैबैपवि 2 / सीजीएम (सीएसएम)-2003 दिनांक : 23 अप्रैल 2003

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण(पुनर्संरचना) कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश(मार्गदर्शी सिद्धांत) और निदेश, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित के लिए विनियमित करने के हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ और किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाये जा रहे, कार्यलापों या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए; पंजीकरण, आस्ति(परिसंपत्ति) पुनर्निर्माण के उपायों, कंपनी के कार्यों, विवेकसम्मत मानदडों, वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण और उससे संबंधित यहां नीचे उल्लिखित उससे संबंधित मामलों से संबंधित दिशानिर्देश तथा निदेश जारी करना आवश्यक है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3, 9, 10 तथा 12 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, यहां इसके बाद विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देश तथा निर्देश जारी करता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) ये दिशा-निर्देश और निदेश 'प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुननिर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश तथा निदेश, 2003' के नाम से जाने जायेंगे ।

   (2) ये 23 अप्रैल 2003 से लागू होंगे और इन दिशा-निदेशों तथा निदेशों में इनके लागू होने की तारीख का कोई संदर्भ उक्त तारीख का संदर्भ माना जायेगा ।

निदेशों की प्रयोज्यता

2. इन दिशा-निर्देशों तथा निदेशों के प्रावधान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू होंगे । परंतु यहां पैराग्राफ 8 में उल्लिखित न्यास/न्यासों के संबंध में, पैराग्राफ 4,5,6,9,10(i), 10 (iii), 12, 13, 14 और 15 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

3. परिभाषाएँ

(1)(i) "अधिनियम" का अर्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 है ।

(ii) "बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत गठित रिज़र्व बैंक है ;

(iii) "अभिग्रहण की तारीख" का अर्थ उस तारीख से है, जब प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों का स्वामित्व ग्रहण किया गया है ;

(iv) "जमाराशि" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 क के अंतर्गत बनाये गये कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियम, 1975 में यथा परिभाषित जमाराशि से है ;

(v) "उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य (अर्निंग वैल्यू) तथा अलग-अलग (ब्रेक-अप) मूल्य के माध्य से है ;

(vi) "अनर्जक आस्ति" (एनपीए) का अर्थ किसी आस्ति से हे, जिसके संबंध में :

(क) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), ऋण या अग्रिम प्राप्त करने की तारीख अथवा उधार लेने वाले और प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) के बीच संविदा के अनुसार नियत तारीख से, जो भी बाद में हो 180 दिन या उससे अधिक दिन के लिए अतिदेय हो;

(ख) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 7(1)(6) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए बनायी गयी योजना में, उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख से 180 दिन या उससे अधिक दिन की अवधि के लिए अतिदेय हो ;

(ग) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 7(1)(6) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए जब कोई योजना नहीं तैयार की गयी हो तो योजना अवधि की समाप्ति पर अतिदेय होती है ; या

(घ) कोई अन्य प्राप्य राशि, यदि वह प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की बहियों में 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो ।

परंतु शर्त यह है कि किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निदेशक मंडल उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर किसी आस्ति को ऊपर उल्लिखित अवधि से पहले भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकता है (उक्त अधिनियम की धारा 13 में किये गये उपबंध के अनुसार प्रवर्तन में सुविधा के लिए) ।

(vii) "अतिदेय" का अर्थ किसी उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद अप्रदत्त (अनपेड) रहती है ।

(viii) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ चुकता ईक्विटी पूंजी, अनिवार्य रूप से ईक्विटी पूंजी में परिवर्तनीय सीमा तक चुकता अधिमान पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोड़कर) लाभ और हानि खाते में नामे शेष तथा विविध खर्चे (बट्टा खाते में न डाली गई या समायोजित न की गई सीमा तक), अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और अनर्जक आस्तियों के लिए अल्प / कम प्रावधान / निवेशों के मूल्य में ह्रास तथा अधिक आय निर्धारण को, यदि कोई किया गया हो तो, घटाकर तथा आगे किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के अर्जित शेयरों का बही मूल्य और वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किये गये मुद्दों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियों को घटाने के बाद लाभ और हानि खाते में जमाशेष के कुल योग से है ;

(ix) "योजना अवधि" का अर्थ पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी अनर्जक आस्तियों (प्रवर्तक की बहियों में) की वसूली हेतु योजना बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गई अधिकतम 12 महीने की अवधि से है ;

(x) "मानक आस्ति" का अर्थ किसी ऐसी आस्ति से है, जो अनर्जक आस्ति नहीं है ।

(xi) "न्यास" का अर्थ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास से है ।

(2) यहां पर प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में जिनकी परिभाषा दी गई है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका अर्थ है । अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम में नहीं दी गई है, अर्थ वह होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 में उनका अर्थ है ।

4. पंजीकरण और उससे संबंधित मामले

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, 7 मार्च 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंवि.1 / सीजीएम (सीएसएम) 2003 में विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी और उक्त

अधिनियम की धारा 3 में किये गये उपबंध के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी;

(ii) कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, जिसने उक्त अधिनियम के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण दोनों कार्यकलाप कर सकती हैं ;

[1]"[(ii) (a) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी;

बशर्ते कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी द्वारा कारोबार प्रारंभ करने की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक इस अवधि को उसके बाद उस समय तक के लिए बढ़ा सकता है जो पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर होने की तारीख से कुल एक वर्ष के बाद की नहीं होगी।

(ii) (b) जिस प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्संरचना कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और इस अधिसूचना की तारीख तक कारोबार प्रारंभ नहीं किया है, वह इस अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी। ."]

(iii) कोई संस्था जो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक में पंजीकृत नहीं है, अधिनियम के दायरे के बाहर प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार कर सकती है ।

5. स्वाधिकृत निधि

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक में पंजीकरण की इच्छुक है, न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की स्वाधिकृत निधि रखनी होगी ।

[2][‘‘ बशर्ते प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक का पंजीकरण मांगनेवाली पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतिकरण (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश एवं निदेशावली, 2004 के प्रारंभ होने पर जो कारोबार करने वाली है, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अभिगृहीत या अभिगृहीत की जाने वाली कुल वित्तीय आस्तियों के कम से कम पंद्रह प्रतिशत की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि समग्र आधार पर या 100 करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, रखेगी ।

---

[1] 19 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.6/सीजीएम(पीके)-2006 द्वारा जोड़ा गया।

[2] 29 मार्च 2004 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.4/ईडी(एसजी)-2006 द्वारा जोड़ा गया।

साथ ही यह भी शर्त है कि -

(i) किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि किसी भी मामले में दो करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये ।

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक)(संशोधन) दिशा-निर्देश तथा निदेशावली,2004 के प्रारंभ होने पर कारोबार करने वाली कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी इस प्रकार प्रारंभ किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्वाधिकृत निधि का स्तर प्राप्त कर लेगी ।

(iii) प्रथम परंतुक के प्रयोजन के लिए राशि परिगणित करते समय इस बात को हिसाब में नहीं लिया जायेगा कि प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए गठित न्यास को आस्तियां अंतरित की गयीं हैं अथवा नहीं ।

(iv) जब तक आस्तियों की वसूली नहीं होती तथा ऐसी आस्तियों हेतु जारी की गयी प्रतिभूति का प्रतिदान नहीं होता, तब तक यह राशि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पास बनी रहेगी ।

[3][(v) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन से ट्रस्ट संस्थापना द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों में प्रत्येक योजना के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 5% से अन्यून निवेश करेगी।

बशर्ते कि -

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी जिसने पहले ही सिक्युरिटी रसीदें जारी की हैं, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 माह में प्रत्येक योजना के अंतर्गत सिक्युरिटी रसीदों में न्यूनतम अभिदान सीमा प्राप्त करेगी।]]

6. स्वीकार्य कारोबार

(i) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी केवल प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कार्यकलाप तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित कार्य करेगी ।

(ii) उस प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को, जो कोई अन्य कारोबार कर रही है, 20 जून 2003 तक वह कारोबार बंद कर देगी;

(iii) कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी जमा के रूप में कोई धन नहीं उगाहेगी ।

7. आस्ति पुनर्निर्माण

---

[3] 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 5/सीजीएम(पीके)/2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) <u>वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण</u>

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी, पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के 90 दिन के अंदर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक 'वित्तीय आस्ति अभिग्रहण नीति' बनाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित किये जायेंगे :

(क) अभिग्रहण के लिए मानदंड और क्रिया विधि,

(ख) आस्तियों के प्रकार और वांछित रूप रेखा;

(ग) यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्जित की गयी आस्तियों का वसूलीयोग्य मूल्य है, जिसका उचित रूप से आकलन और तटस्थ रूप से मूल्यन किया जा सकता है, मूल्यन की क्रिया विधि;

(घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों के मामले में, उनकी वसूली के लिए योजना बनाने हेतु निदेशक मंडल के मापदंड ।

(ii) निदेशक मंडल वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेशक और/या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनायी गयी किसी समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है ।

(iii) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए ।

(2) **उधारकर्ता के कारोबार के उल्लंघन में परिवर्तन / उसकी बिक्री या पट्टे पर देना**

कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, जब तक इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी नहीं किये जाते, तब तक उक्त अधिनियम की धारा 9 (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट उपाय नहीं करेगी ।

(3) **ऋणों की पुनर्व्यवस्था करना**

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उधार लेने वालों से प्राप्य ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के लिए स्थूल मापदंड निर्धारित करते हुए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक नीति बनायेगी;

(ii) सभी प्रस्ताव उधार लेने वाले के कारोबार की स्वीकार्य योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उन के द्वारा समर्थित होने चाहिए;

(iii) प्रस्तावों से प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का आस्ति देयता प्रबंधन अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होना चाहिए ।

(iv) निदेशक मंडल, ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(v) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए ।

(4) **प्रतिभूति हित प्रवर्तन**

उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत जमानती आस्तियों की बिक्री की कार्रवाई करते समय, यदि उक्त बिक्री केवल सार्वजनिक नीलामी के रूप में की जा रही हो तो कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त जमानती आस्तियों को या तो अपने उपयोग के लिए या पुनर्बिक्री के लिए अर्जित कर सकती है ।

(5) **उधार कर्ताओं द्वारा देय राशियों का निपटारा**

(i) उधारकर्ताओं से प्राप्य ऋणों के निपटारे हेतु स्थूल मापदंड निर्धारित करते हुए प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदित से एक नीति बनाएगी;

(ii) उक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट तारीख,वसूली योग्य राशि के अभिकलन और लेखा के निपटारे का सूत्र, भुगतान की शर्तें और नियत की हुई राशि का भुगतान करने की उधारकर्ता की सामर्थ्य जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता हे ;

(iii) जब उक्त निपटारे में करार सम्मत संपूर्ण राशि के एकमुश्त भुगतान का विचार नहीं किया गया हो तो प्रस्ताव कारोबार की स्वीकार्य योजना उधारकर्ता की अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उससे समर्थित होने चाहिए ;

(iv) इन प्रस्तावों से प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का आस्ति देयता प्रबंधन या निवेशकों को दिये गये आश्वासन अधिक प्रभावित नहीं होने चाहिए ;

(v) निदेशक मंडल, देय राशियों के निपटारे हेतु प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है ;

(vi) नीति से हट कर निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए ।

(6) <u>वसूली की योजना</u>

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को योजना अवधि के अंदर आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित एक या अधिक उपाय किये जा सकते हैं;

(क) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों के भुगतान की पुनर्व्यवस्था करना;

(ख) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति में हित का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट)
(ग) उधारकर्ता द्वारा देय राशियों का निपटारा
(घ) यहां ऊपर पैराग्राफ 7(2) में उल्लिखित अनुसार इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश बनाये जाने के बाद उधारकर्ता के कारोबार के संपूर्ण या उसके एक भाग के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण या बिक्री या पट्टे का अधिग्रहण ।

(ii) वसूली की योजना में आस्तियों के पुनर्निमार्ण और एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर उनकी वसूली के लिए प्रस्तावित उपायों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

8. प्रतिभूतिकरण

(1) प्रतिभूति की रसीदें जारी करना

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और (2) के उपबंधों को, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गये एक या अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी । प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त आस्तियों को उपर्युक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जिस पर वे प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) से अर्जित की गई थीं;

i. उक्त न्यास केवल विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं को भी प्रतिभूति की रसीदें जारी करेंगे; और उक्त वित्तीय आस्तियों को इन विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं के लाभ के लिए रखेंगे और उनका प्रबंध करेंगे ।
ii. इन न्यासों की न्यासधारिता उक्त प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पास रहेगी;
iii. प्रतिभूति की रसीदें जारी करने वाली कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त रसीदें जारी करने से पहले उक्त ट्रस्ट द्वारा बनायी गयी प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति की रसीदें जारी करने का प्रावधान करते हुए निदेशक मंडल के विधिवत् अनुमोदन से एक नीति बनायेगी;
iv. उपर्युक्त उप पैराग्राफ (iii) में संदर्भित नीति में यह प्रावधान किया जायेगा कि जारी की गयी प्रतिभूति की रसीदें केवल अन्य विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं को ही हस्तांतरणीय / समनुदेशन योग्य होंगी ।

(2) प्रकटीकरण

प्रतिभूति की रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अनुबंध में उल्लिखित अनुसार प्रकटीकरण करेगी ।

9. पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षा

(1) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात कायम रखेगी जो उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों के 15% से कम नहीं होगा । जोखिम भारित आस्तियों की गणना तुलनपत्र की और तुलनपत्र बाह्य मदों के सकल भार के रूप में यहां नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार की जायेगी :

भारित जोखिम आस्तियां

तुलनपत्र की मदें	**जोखिम भार का प्रतिशत**
(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में नकदी और जमाराशि	0
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
(ग) अन्य आस्तियां	100
तुलनपत्र बाह्य मदें	
सभी आकस्मिक देयताएं	50

(2) अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों के धारित शेयरों पर कोई जोखिम भार नहीं होगा ।

10. निधियों का अभिनियोजन

i. कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी प्रवर्तक के रूप में और कोई संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु बनायी गयी किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश कर सकती है;

ii. कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अपने पास उपलब्ध अधिक धनराशियां इस संबंध में उसके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुसार केवल सरकारी प्रतिभूतियों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमाराशियों में रख सकती है;

iii. कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अपनी स्वाधिकृत निधि में से भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी परंतु शर्त यह है कि यह प्रतिबंध उधार ली गयी निधियों और न्यूनतम निर्धारित स्वाधिकृत निधि से अधिक निधियों पर लागू नहीं होगा ।

11. लेखा वर्ष

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार अपना तुलनपत्र और हानि-लाभ खाता तैयार करेगी ।

12. आस्ति वर्गीकरण

(1) <u>वर्गीकरण</u>

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की मात्रा और वसूली के लिए प्रासंगिक जमानत पर निर्भर रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी, अर्थात् :

(क) मानक आस्तियां

(ख) अनर्जक आस्तियां

(ii) अनर्जक आस्तियों को आगे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(क) 'उप-मानक आस्ति' उसके अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख से अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए

(ख) 'संदिग्ध आस्ति' यदि आस्ति 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उप मानक आस्ति रहती है;

(ग) 'हानि आस्ति' यदि उक्त आस्ति 36 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक रहती है या उक्त आस्ति या तो प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने के कारण या प्रतिभूति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है या उसे प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी या उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा हानि आस्ति के रूप में पहचाना गया है ।

(iii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी आस्तियों को योजना अवधि के दौरान, यदि कोई हो, तो मानक आस्तियों के रूप में माना जा सकता है ।

(2) <u>आस्ति पुनर्निर्माण : पुनः सौदाकृत /पुनर्व्यवस्थित आस्तियां</u>

(i) जब किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा मानक आस्ति से संबंधित ब्याज और /या मूलधन के संबंध में करार की शर्तों का फिर से सौदा किया गया हो या उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया हो (योजना अवधि के दौरान से अलग) तो संबंधित आस्ति को फिर से सौदा किये जाने /पुनर्व्यवस्थित किये जाने की तारीख से उप मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा या जैसी भी स्थिति हो उसे संदिग्ध आस्ति के रूप में बने रहने दिया जायेगा ।

(ii) उक्त आस्ति को पुनः सौदा की हुई /पुनर्व्यवस्थित शर्तों के अनुसार 12 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन के बाद ही मानक आस्ति के रूप में उन्नत किया जा सकता है ।

(3) प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अनर्जक आस्तियों के लिए निम्नलिखित अनुसार प्रावधान करेगी :

आस्ति की श्रेणी	अपेक्षित प्रावधान
उप मानक आस्तियां	बकाया राशि के 10% का सामान्य प्रावधान
संदिग्ध आस्तियां	(i) उस सीमा तक 100% प्रावधान जिसके लिए आस्ति, प्रतिभूति के प्राक्कलित वसूलीयोग्य मूल्य में नहीं आती है
	(ii) उपर्युक्त मद (i) के अलावा, शेष बकाया राशि का 50%
हानि आस्तियां	संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाला जायेगा । (यदि किसी कारण से उक्त आस्ति को बहियों में रखा जाता है तो उसके लिए 100% का प्रावधान किया जायेगा)

13. निवेश

सभी निवेशों का मूल्यन, लागत या वसूलीयोग्य मूल्य में से जो भी कम हो उसपर किया जायेगा । जहां पर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों वहां बाज़ार मूल्य को वसूलीयोग्य मूल्य माना जायेगा और ऐसी स्थिति में जब बाज़ार की दरें उपलब्ध नहीं हो तो वसूलीयोग्य मूल्य उचित मूल्य (फेयर वेल्यू) होगा । परंतु अन्य पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी में निवेशों को दीर्घकालिन निवेश माना जायेगा और उनका मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और दिशा-निर्देश नोटों के अनुसार किया जायेगा ।

14. आय-निर्धारण

(i) आय-निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित होगा ।

(ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये सभी लेखा मानकों और दिशा-निर्देश नोटों का, वहां तक पालन किया जायेगा, जहां तक वे यहां निहित इन दिशा-निर्देशों और निदेशों से असंगत नहीं हों;

(iii) सभी अनर्जक आस्तियों के संबंध में ब्याज और किसी अन्य प्रभार का तभी निर्धारण किया जायेगा जब वे वास्तव में वसूल हो गये हों । किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आस्ति के अनर्जक होनेसे पहले वसूल न की गयी निर्धारित की गयी और अप्राप्त रह रही ऐसी आय को अनिर्धारित कर दिया जायेगा ।

15. तुलनपत्र में प्रकटीकरण

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI की अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार करेगी और उन्हें अपने-अपने तुलनपत्र के साथ अनुबंध के रूप में लगायेगी :

(i) उन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के नाम और पते जिनसे वित्तीय आस्तियां अर्जित की गयी हैं और वह मूल्य जिसपर ऐसी आस्तियां प्रत्येक ऐसे बैंक /वित्तीय संस्था से अर्जित किये गये थे;

(ii) विभिन्न वित्तीय आस्तियों का उद्योगवार और प्रवर्तकवार फैलाव (फैलाव कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इंगित किया जाना है);

(iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और दिशा-निर्देश नोटों के अनुसार संबंधित पक्षों का ब्यौरा और उनको देय और उनसे प्राप्य राशियां; और

(iv) चार्ट में स्पष्ट रूप से मानक से अनर्जक के रूप में वित्तीय आस्तियों के अंतरण को दर्शाते हुए एक विवरण ।

(2) (i) वित्तीय विवरणों के तैयार करने और उनके प्रस्तुत करने में अपनायी गयी लेखांकन की नीतियां बैंक द्वारा निर्धारित किये गये लागू विवेकसम्मत मानदंडों के अनुरूप होंगी ।

(ii) जहां पर उक्त लेखांकन नीतियों में से कोई नीति इन निदेशों के अनुरूप नहीं है तो इन निदेशों से हटने के विवरणों का उसके कारणों सहित और उनके कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा दिया जायेगा । जब ऐसा कोई प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए यह तथ्य उस रूप में प्रकट किया जाना चाहिए ।

(iv) तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखे में किसी मद के अनुचित व्यवहार को न तो प्रयोग में लायी गयी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से और न तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे में नोटों में प्रकटीकरण से परिशोधित हो गया माना जा सकता है ।

16. आंतरिक लेखा परीक्षा

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा उक्त कंपनी द्वारा अपनायी गयी आस्ति अभिग्रहण क्रियाविधियों और आस्ति पुनर्निर्माण केउपायों तथा उससे संबंधित मामलों की आवधिक रूप से जांच और समीक्षा के लिए प्रावधान करते हुए एक कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जायेगी ।

17. छूट

बैंक, यदि वह यह मानता है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को किसी परेशानी से बचाने के लिए अथवा किसी उचित और पर्याप्त कारण के लिए, सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों या किसी विशेष प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों के किसी वर्ग को, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह लगाना चाहे या तो सामान्य रूप से या किसी विशेष अवधि के लिए इन दिशा-निर्देशों और निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकता है ।

(सी. एस. मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध

(1) प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रकटीकरण

क. प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाले से संबंधित

i. पंजीकृत कार्यालय का नाम, स्थान, निगमन की तारीख, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के कारोबार आरंभ करने की तारीख;

ii. प्रवर्तकों, शेयरधारकों के विवरण और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निदेशक मंडल में, उनकी योग्यताओं और अनुभव के साथ निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

iii. पिछले तीन वर्षों की अथवा कंपनी का कारोबार आरंभ होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कंपनी की वित्तीय सूचना का सारांश

iv. पिछले तीन वर्षों अथवा कारोबार आरंभ करने की तारीख से, जो भी बाद में हुआ हो, प्रतिभूतिकरण/ आस्ति पुनर्निर्माण के यदि कोई कार्यकलाप किये गये हों तो उनका ब्यौरा

ख. प्रस्ताव की शर्तें

i. प्रस्ताव के उद्देश्य

ii. प्रलेख का विवरण, इस आशय के एक प्रकथन के साथ कि प्रतिभूति की रसीदों का हस्तांतरण निर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं तक ही सीमित है, उसके स्वरूप, मूल्यवर्ग, निर्गम मूल्य आदि से संबंधित ब्यौरे देते हुए;

iii. आस्तियों के प्रबंधन के लिए की गयी व्यवस्थाएं और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा ली जाने वाली प्रबंध शुल्क की सीमा;

iv. ब्याज दर /संभावित प्रतिफल;

v. मूलधन /ब्याज के भुगतान की शर्तें, अवधिपूर्णता /मोचन की तारीख;

vi. शोधन तथा प्रशासन व्यवस्था;

vii. यदि कोई हो, तो साख निर्धारण और उक्त निर्धारण केलिए औचित्य का सारांश;

viii. उन आस्तियों का विवरण जिनका प्रतिभूतिकरण किया जाना है;

ix. आस्ति समूह का भौगोलिक वितरण;

x. आस्ति समूह की अवशिष्ट अवधिपूर्णता, ब्याज दरें, बकाया मूलधन;

xi. अंतर्निहित सुरक्षा का स्वरूप और मूल्य, संभावित नकदी प्रवाह, उनकी मात्रा और समय, साख वृद्धि के उपाय

xii. आस्तियों के अभिग्रहण की नीति और अपनायी गयी मूल्यन की पद्धति

xiii. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्तियों के अभिग्रहण की शर्तें

xiv. प्रवर्तकों (ओरिजिनेटर) के पास कार्यनिष्पादन के अभिलेख का ब्यौरा

xv. आस्ति समूह में आस्तियों को बदलने की शर्तें

xvi. जोखिम फैक्टरों का विवरण, विशेष रूप से भविष्य के नकदी प्रवाहों से संबंधित और उक्त जोखिमों को कम करने के लिए किये गये उपाय

xvii. चूक होने की स्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण उपायों को लागू करने के लिए की गयी व्यवस्थाएं यदि कोई हों

xviii. न्यासी के कर्तव्य

xix. आस्ति पुनर्निर्माण के विशिष्ट उपाय यदि कोई हों, जिनके संबंध में निवेशकों से अनुमोदन लिया जायेगा

xx. विवाद निवारण प्रक्रिया

(2) <u>तिमाही आधार पर प्रकटीकरण</u>

i. तिमाही के दौरान हुई कोई चूक, पूर्व भुगतान, हानियां

ii. साख निर्धारण में हुआ परिवर्तन, यदि कोई हो;

iii. वर्तमान आस्ति समूह में नयी आस्ति आने या आस्तियों की वसूली होने से आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन

iv. वर्तमान और पिछली तिमाही का संग्रहण सारांश

v. अर्जन की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिससे निर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं पर प्रभाव पड़ता हो ।

केंद्रीय कार्यालय
विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र-1
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400005

प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों के लिए मार्गदर्शी नोट

यह ज्ञात ही है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्संचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 *21 जून 2002* से लागू है। उसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्संचना कंपनियों के पंजीकरण, उनके कार्यों से संबंधित अन्य मामलों यथा आय निर्धारण संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्ड, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, लेखामानक, पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति पुनर्संरचना के लिए उपाय, निधियों के नियोजन एवं परिसंत्तियों के अर्जन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेश बनाए हैं।

2. रिज़र्व बैंक इस बात को मानता है कि परिसंपत्ति पुनर्संरचना गतिविधि/कारोबार चूंकि मुख्यत: गैर निष्पादक ऋण परिसंपत्तियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए परिसंपत्ति पुनर्संरचना की प्रक्रिया एवं संबंधित मामलों की शुरुवात पर्याप्त सावधानी तथा ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए, जिसके लिए स्पष्ट अनुदेशों का एक सेट होना चाहिए जिनका पालन प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ करें ताकि परिसंपत्ति पुनर्संरचना की प्रक्रिया सुगमता एवं अच्छी तरह(सुदृढ़ता के साथ) पूरी हो सके। इसके अलावा, इन कंपनियों को कतिपय मामलों पर विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तदनुसार बैंक ने कतिपय मामलों पर मार्गदर्शी नोट तैयार किए हैं जो सिफारिशी प्रकृति के हैं और नीचे दिए जा रहे हैं। इन नोटों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

i. (1) <u>वित्तीय परिसंत्तियों का अर्जन</u>

1. परिसंपत्ति अर्जन नीति ऐसी हो जिसमें लेन-देन(इनकी खरीद- बिक्री) का तरीका पारदर्शी हो तथा भलीभांति सूचित(वेल इनफार्म्ड) बाजार में मूल्य उचित हो। साथ ही पर्याप्त सावधानी बरतते समय लेन-देन का कार्य निष्पक्ष/निरपेक्ष हो।
2. किसी बैंक/वित्तीय संस्था की वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जित किए जाने वाले शेयरों को, उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उचित एवं निष्पक्ष तरीके से निकाला(वर्क आउट किया) जाए जिसमें किसी उधारकर्ता पर बकाया राशि के 75% से अन्यून राशि के धारक रक्षित लेनदारों(सिक्योर्ड क्रेडिटर्स) की सहमति लेना आवश्यक है।

3. सरल एवं त्वरित वसूली के लिए, विभन्न बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के प्रति ऋणी किसी कर्जदार से मिलने वाली सभी परिसपंत्तियों के अर्जन पर विचार किया जाए। इसी प्रकार उसी संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंध रखनेवाली वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जन पर विचार किया जाए ताकि तुलनात्मक रूप से त्वरित एवं सुगमता से वसूली हो सके। तथापि, परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए निर्णय लेते समय अर्जन संबंधी जोखिमों को मद्देज़र रखते हुए संतुलित रुख अख्तियार किया जाए।

4. अर्जित की जानेवाली परिसंपत्तियों की सूची में निधि व गैर निधि आधार वाली परिसंपत्तियों, दोनों को शामिल किया जाए। मूलकर्ता(ओरिजनेटर) की बहियों में मानक रही परिसंपत्तियों, जिनकी वसूली बाद में मुश्किल हो सकती है, को भी अर्जित किया जा सकता है।

5. किसी बैंक/वित्तीय संस्था की निधिक परिसंपत्तियों के अर्जन में आगे उधार देने के वायदे को टेकओवर करते समय शामिल न किया जाए। गैर निधिक लेन-देनगत प्रतिभूति हित अर्जन की शर्त में निधियों की मांग उठने तक संबंधित वायदे बैंक/वित्तीय संस्था के पास उपलब्ध रहेंगे।

6. जो ऋण उचित दस्तावेजों से समर्थित न हों, उनसे बचना (दूर रहना) चाहिए।

7. जहाँ तक संभव हो एक ही प्रकार की प्रोफाइल की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया समान हो एवं यह सुनिश्चत किया जाए कि वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से किया जाए। परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर उनका मूल्यांकन आंतरिक रूप में (स्वत:)/बाहर की एजेंसी से करवा लेना चाहिए। आदर्श स्थिति होगी यदि मूल्यांकन उस समिति से करवाया जाए जिसे परिसंपत्तियों को अर्जित करने के लिए अनुमोदन देने का प्राधिकार दिया गया है जो निदेशक बोर्ड द्वारा विनिर्दष्ट अर्जन नीति के तहत इस कार्य को अंजाम देगी।

8. प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ अपना कार्य स्वस्थ तरीके से करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों के परिचालनों तथा गतिविधियों(कार्यों) की आंतरिक/वाह्य एजेंसियों से आवधिक जाँच करायी जाए।

(2).<u>प्रतिभूति रसीदें जारी करना</u>

(i) प्रश्नगत पार्टियाँ आपसी सहमत शर्तों तथा जोखिमों के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के बिक्री मूल्य का निर्धारण करें और उसके अनुसार प्रतिभूति रसीदें जारी की जाएं।

(ii) प्रतिभूति रसीद जारीकर्ता कंपनी मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से प्रतिभूति रसीदों की रेटिंग लेने पर विचार करें।

(iii) अपने द्वारा जारी इन योजनाओं के प्रबंधन के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ प्रबंधन शुल्क या व्यय से संबंधित मामले परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार तय करें।

(3). निदेशक बोर्ड की समितियाँ

मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 7(1), 7(3) एवं 7(5) तथा निदेशों में अंतर्विष्ट परिसंपत्ति पुनर्संरचना संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन देने के लिए निदेशक बोर्ड एक या अधिक समितियाँ गठित कर सकता है।

संशोधनकारी अधिसूचनाओं की सूची

1. 29 मार्च 2004 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 4/ईडी(एसजी)/2004
2. 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 5/सीजीएम(पीके)/2006
3. 19 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 6/सीजीएम(पीके)/2006